परमिट सं0: 50 / मानचित्र / जि0पंचा0 / 2014–15

कार्यालय जिला पंचायत,
बाराबंकी।
दिनांक– 18-04-2015

ए0आर0जी0इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा0लि0
द्वारा– डायरेक्टर
श्री बैजनाथ एवं श्री हरी प्रसाद पुत्रगण श्री मिहीलाल,
श्री रमेश चन्द्र उर्फ रमेश पुत्र श्री राम अधार,
श्री कृष्ण कुमार उर्फ श्रवण कुमार पुत्र बेनीमाधव,
श्री राजेश्वरी उर्फ सुरइया पत्नी स्व0 अनन्तराम
श्रीमती मुजू देवी पत्नी स्व0 प्यारे लाल,
निवासीगण उमरपुर सन्दौली,परगना देवा,तहसील नवाबगंज
जिला–बाराबंकी।

आपके प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न खतौनी में प्रदर्शित भूमि के खसरा सं0–711,715,695,698,700 व 712 पर ग्राम उमरपुर सन्दौली ,परगना देवा,तहसील नवाबगंज,जिला–बाराबंकी पर प्रस्तावित आवासीय भवन हेतु कवर्ड एरिया 10,544.64 वर्ग मीटर में प्रस्तावित निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त माननीय अध्यक्षा जी द्वारा दिनांक 18–04–2015 को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

माननीय अध्यक्षा जी की स्वीकृति दिनांक 18–04–2015 के अनुक्रम में उपर्युक्त मानचित्र जिला पंचायत,बाराबंकी की भवन निर्माण उपविधि दिनांक 21 मई 2011 के उपबन्धों के अधीन तथा निम्नलिखित उपबन्धों/प्रतिबन्धों सहित स्वीकार किया जाता है:–

1– राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित ले आउट प्लान की दूरी मार्ग के मध्य से 61.70 मी0 और सम्पर्क मार्ग से अथवा गलियारे से 10 मी0 होना आवश्यक है।

2– आवासीय भवन में किसी शौचालय की गली की ओर खुला नहीं रखा जायेगा।

3– शौचालय का निर्माण फ्लस टाइप का होना चाहिये जिसके लिये सेप्टिक टैंक,व शोक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

4– भवन की कुर्सी भवन के निकट गली,सडक आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी0 रखा जाये। दी गयी आज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की सम्पत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

5– निर्माण कार्य की स्वीकृति हेतु निर्गत परमिट के दिनांक से 05 वर्ष के अन्दर निर्माण कार्य पूरा करना होगा यदि किसी कारण से निर्माण उक्त निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हुआ तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा पुनः विचार कर निर्माण कार्य की अवधि बढायी जा सकती है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में पुनः स्वीकृति के दिनांक से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6– उपरोक्त स्वीकृत मानचित्र में अथवा निर्माण कार्य में किसी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन बिना जिला पंचायत की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।

7– किसी भी प्रकार के विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत,बाराबंकी इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय,बाराबंकी होगा।

8– स्वीकृत मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नही होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा

9– स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे चकमार्ग,नाली,तालाब,मरघट,चारागाह व नवीन परती भूमि, बाराबंकी की महायोजना से आच्छादित भूमि लो0नि0वि0,सिंचाई,विद्युत विभाग,अग्निशमन विभाग,वन विभाग,रेलवे विभाग व अन्य आवश्यक विभाग की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, बाराबंकी।
18/4/15